



HQRS.OFFICE
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
PANCHDEEP BHAVAN, CIG ROAD, NEW DELHI-110002
(ISO 9001: 2008 Certified)
www.esic.nic.in, e-mail: dir-pnd@esic.nic.in,



No.N-15/13/8/1/2016-P&D

Dated:-~~08~~/04 /2016
12

To,

The Regional Director,
Regional Office,
Employees' State Insurance Corporation,
Himachal Pradesh.

Subject: Implementation of ESI Scheme in new geographical areas of 12 revenue village of Kasauli Tehsil, Solan District in the State of Himachal Pradesh.

Sir,

In continuation of this office endorsement of even number dated 23/03/2016 on the above cited subject, please find enclosed herewith the copy of notification dated 29/03/2016 issued by the Ministry of Labour & Employment, Government of India.

Further necessary action may please be taken immediately for implementation of Scheme in above areas.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

(Jai Singh)
Asstt. Director (P&D)

✓ **Copy to:-** Web Site Content Manager Hqrs Office with the request to upload the enclosed notification on the Website of Hqrs Office.

ASSTT. DIRECTOR (P&D)

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन.....
Website Contents Management.....
हाथी सं./Diary No..... 129
चक्र/Date..... 12/4/16



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन : सी. आई. जी. मार्ग: नई दिल्ली-2

संख्या: एन-15/13/11/02/2015-यो0 एवं0 वि0

दिनांक- 12 / 4 / 2016

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,,
क्षेत्रीय कार्यालय,
क.रा.बी. निगम
हिमाचल प्रदेश

विषय:- हिमाचल प्रदेश राज्य के 12 राजस्व ग्राम, सोलन जिले के कसौली तहसील के नए भुगौलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम लागू करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पृष्ठंकित समसंख्यक पत्र दिनांक 23/03/2016 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 29/03/2016 को जारी अधिसूचना की प्रति एतद्वारा अग्रेषित है।

कृपया उपर्युक्त क्षेत्र में स्कीम लागू करने के लिए तुरंत अगली आवश्यक कार्रवाई करें।

अनुलग्नक: उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(जय सिंह)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

प्रतिलिपि:- वेबसाइट सामग्री प्रबंधन को इस अनुरोध के साथ कि इसे निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सहायक निदेशक (यो. एवं वि.)

To be published in Gazette of India, Part-II, Section - 3, Sub-Sec.(ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
New Delhi

Dated: 29/03/2016

NOTIFICATION

S.O. _____: In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the **1st April, 2016** as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of **Himachal Pradesh** namely: -

Sl. No.	Name of the villages/Area*	Had Bast No./Hobli*	Tehsil	District
1	Chamiya	4	Kasauli	Solan
2	Kasauli	99	Kasauli	Solan
3	Mashobra	158	Kasauli	Solan
4	Kimu Ghat	154	Kasauli	Solan
5	Kasauli(cantt.)	395	Kasauli	Solan
6	Sanwara	396,104,106	Kasauli	Solan
7	Mangoti	105	Kasauli	Solan
8	Mando Markanda	107	Kasauli	Solan
9	Chabbal	715	Kasauli	Solan
10	Shalora Khurd	956	Kasauli	Solan
11	Chotiyan	157	Kasauli	Solan
12	Garkhal	713	Kasauli	Solan

(No. S-38013/17/ 2016-SS.I)

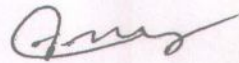
(AJAY MALIK)

Under Secretary to the Govt. of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

Copy forwarded for information to:

1. ✓ The Director General, ESI Corporation, New Delhi.
2. The Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Labour, Employment, Training & Factories Department, HP Secretariat, Shimla.
3. The Regional Director, ESI Corporation, Sai Road, Phase-1, Near Malhotra Hospitala, Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh.
4. Guard File


(A.U.K. Khaldy)
Section Officer

भारत के राजपत्र भाग-2ए खण्ड-3 के उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक: 29/03/2016

अ धि सू च ना

का.आ. _____ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 अप्रैल, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम / क्षेत्र	हदबस्त संख्यां / होबली	तहसील / तालुक	जिला
1.	चामियां	4	कसौली	सोलन
2.	कसौली	99	कसौली	सोलन
3.	मशोबरा	158	कसौली	सोलन
4.	कीमू घाट	154	कसौली	सोलन
5.	कसौली (छावनी)	395	कसौली	सोलन
6.	सनवारा	396,104,106	कसौली	सोलन
7.	मंगोटी	105	कसौली	सोलन
8.	मण्डो मारकण्डा	107	कसौली	सोलन
9.	चब्बल	715	कसौली	सोलन
10.	शलोरा खुर्द	956	कसौली	सोलन
11.	छोटियां	157	कसौली	सोलन
12.	गड़खल	713	कसौली	सोलन

संख्या:-एस-38013 / 17 / 2016-एस.एस.1

— Sd—
(अजय मलिक)
अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक, ए

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली।

भारत के राजपत्र भाग-2ए खण्ड-3 के उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली

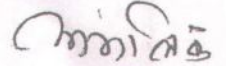
दिनांक: 29/03/2016

अ धि सू च ना

का.आ. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 अप्रैल, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम / क्षेत्र	हदबस्त संख्यां / होबली	तहसील / तालुक	जिला
1.	चामियां	4	कसौली	सोलन
2.	कसौली	99	कसौली	सोलन
3.	मशोबरा	158	कसौली	सोलन
4.	कीमू घाट	154	कसौली	सोलन
5.	कसौली (छावनी)	395	कसौली	सोलन
6.	सनवारा	396, 104, 106	कसौली	सोलन
7.	मंगोटी	105	कसौली	सोलन
8.	मण्डो मारकण्डा	107	कसौली	सोलन
9.	चब्बल	715	कसौली	सोलन
10.	शलोरा खुर्द	956	कसौली	सोलन
11.	छोटियां	157	कसौली	सोलन
12.	गड़खल	713	कसौली	सोलन

संख्या:-एस-38013/17/2016-एस.एस.1



(अजय मलिक)

अवर सचिव



सेवा में,

प्रबंधक, द

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली।